राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1117/2014.....जिला.....जयपुर.....
उनवान– मैसर्स ज्वैल्स एण्ड गोल्ड पैलेस, आमेर रोड़, जयपुर बनाम् 1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–डी, जयपुर
2. उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.07.2014	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री अमर सिंह, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय प्राधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–डी, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 5(1), 23, 24, 55 एवं 58 का कर निर्धारण वर्ष 2011–12 के लिये पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.03.2014 में कर एवं ब्याज रूपये 11,39,150/– की मांग अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम की गई। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील मय स्थगन रू0 10,20,349/– पेश करने पर, रोक आवेदन को अस्वीकार कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र वसूली पर रोक हेतु पेश की गयी है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक श्री एस.के.जैन ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा आलौच्य अवधि में सर्राफ/जैम्स स्टोन की कम्पोजिशन योजना के तहत प्रशमन राशि व ब्याज प्रथम किस्त जो दिनांक 07.04.2011 को जमा करानी थी, वह राशि केवल 2 दिन के विलम्ब से दिनांक 09.04.2011 को जमा कराई गई थी। शेष तीनों तिमाहीयों की राशियां निर्धारित समय से पूर्व ही जमा कराई जा चुकी थी। फिर भी कर निर्धारण अधिकारी ने विधि सम्मत नहीं माना है। एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को विधि सम्मत ठहराते हुए, अपीलार्थी के रोक आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है। श्री जैन ने अनुरोध किया है कि रोक आवेदन मय अपील स्वीकार किया जावे। **लगातार.....2**	

विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत रोक आवेदन को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से प्रकरण की समग्र विधिक स्थिति के मध्येनजर यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है अतः अपीलार्थी से वसूली योग्य राशि की वसूली पर 3 माह के लिए स्थगन स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि परक 2 मोतबीर जमानतें निर्णय प्राप्ति के 15 दिवस में प्रस्तुत करे अन्यथा यह निर्णय स्वतः निरस्त समझा जायेगा। अपीलीय प्राधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि निर्णय प्राप्ति के 3 माह में अपील का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया ।

2-7-14

(अमर सिंह)
सदस्य

2.7.2014

(मदन लाल)
सदस्य